

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4516]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2018/कार्तिक 23, 1940
No. 4516]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018/KARTIKA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

का.आ. 5733(अ).—केंद्रीय सरकार, अधिभोग प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से पूर्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन अनुज्ञा सहित 20,000 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र वाले भवन या संनिर्माण परियोजनाओं और 20,000 वर्ग मीटर से 1,50,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक शेडों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रावासों के संबंध में परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट पर्यावरण शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरणों, जैसे नगरपालिकाओं, विकास प्राधिकरणों, जिला पंचायतों को शक्ति प्रत्यायोजित करती है।

परिशिष्ट

भवनों तथा निर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें

(श्रेणी : भवन या निर्माण परियोजना या क्षेत्रीय विकास परियोजना और नगरीय 20,000> वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए औद्योगिक, शैक्षणिक संस्थानओं, अस्पतालों शेडों और छात्रावासों के लिए 20,000> वर्ग मीटर से 1,50,000 वर्ग मीटर)

क्रम सं.	माध्यम	पर्यावरणीय शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	स्थलाकृति तथा प्रकृतिक ड्रेनेज	जल के अवाधित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रकृतिक ड्रेन प्रणाली का
		रखरखाव किया जाना चाहिए । किसी भी निर्माम कार्य को स्थल से होकर
		गुजरने वाले प्रकृतिक ड्रेनेज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
		नम भूमि तथा जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ड्रेनेज
		पद्धति का रखरखाव करने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-
		स्वेल, लैंडस्केप और अन्य वहनीय शहरी ड्रेनेज प्रणालियों की अनुमति है ।

6678 GI/2018 (1)

भवन जहां तक मजब हो, प्रकृतिक स्थ्यमानि के अनुमार जिलाइन किए लाएँ। व जाएँ। । कम से कम कटाई और अगई की जानी चाहिए। वर्षा जल संक्या और स्थान की लाए एक मंपूर्ण योजना तैयार और क्यांकिय की जानी चाहिए। विभा प्रवाद मानाओं या गंवराकों के साथ जब रख माधियों के उपयोग का सबर्धन किया जाना चाहिए। वर्षा जब समयन पर स्थानीय उपविधियों के उपयोग का अनुसरण किया जाना चाहिए। वर्षा जब समयन पर स्थानीय उपविधियों के उपयोग का अनुसरण किया जाना चाहिए। वर्षा जब समयन पर स्थानीय उपविधियों के उपयोग का अनुसरण की रिवार्ज के लिए समुद्रित उपयोग का अनुसरण विया जाना चाहिए। वर्षा जब संवयन योजना का बहु। वर्षा जो का संवयन योजना का संवय माधिया का संवय योजना का बहु। वर्षा जो का संवय योजना का संवय योजना का संवय याचिया वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा योजना वर्षा वर्षा योजना योजना वर्षा योज			T INDIT: EXTRAORDINARY [TART II DEC. 5(II)]
जैर कार्यान्वित की जारी वाहिए। विम्न प्रयाह सजाओं वा संवेवकों के साथ जल रक्ष साधियों के उपयोग का संवर्धन किया जाता वाहिए। वर्षों जल जवन पर स्थानीय उपविधियों के उपवंधों को अनुराण किया जाना चाहिए। वर्षों जल जवन पर स्थानीय उपविधियों के उपवंधों को अनुराण किया जाना चाहिए। वर्षों जल संवयन पर स्थानीय उपविधियों के उपवंधों को अनुराण किया जाना चाहिए। वर्षों जल संवयन योजना का वहाँ दिजाइन किया जाना चाहिए। वर्षों जल संवयन योजना का वहाँ दिजाइन किए जाने कीर रिकाल के लिए समुचित उपवंधों का अनुराण किया जाना चाहिए। वर्षों जल संवयन योजना का वहाँ दिजाइन किए जाने कीर रिकाल के लिए समुचित उपवंधों का अनुराण किया जाना जा जल की एक दिन की आवश्यकता की भीताण अमाना के स्मृतन एक रिजाल कीर को उपलब्ध कराया जाएगा। उन को को यो प्राचन कीर का प्राचन नहीं की जाएगी। सभी रिचाल जे नहीं नित्र के प्रति प्राच कोरीकीत कर म से कम 20 प्रविक्षत बुका स्थान प्राचान प्राचनीय होंगा। सभी रिचाल जे नहीं के अनुभोदन के नित्र पुन्तक की निकाली नहीं की जाएगी। सभी रिचाल जे नहीं के अनुभोदन के नित्र पुन्तक कीर निकाली नहीं की जाएगी। सभी पर्वाहण अपविध्या के प्राचनीय के अनुभावन कर माने के लिए प्रयोक कार्यों, जीविक ने स्थान कीर अपविध्य जल समझा जाएगा। सीवेज – ऐसे क्षेत्रों के अनुभावन कीर पुष्क विद्या कीर कार्यों के अनुभावन कीर कार्यों के अनुभावन कीर कार्यों के अनुभावन कीर कीर कार्यों के अनुभावन कीर कार्यों के अनुभावन कीर कीर कार्यों केर कार्यों केर कार्यों केर कार्यों कीर कार कीर कीर कार्यों कीर कार्यों कीर कार कीर कीर कार कार कीर कीर कार कार कीर कीर कार कार्यों कीर कार कीर कीर कार कीर कीर कार कार कीर कार कार कीर कार कार कीर कीर कार कीर कीर कार कार कीर कीर कार कार कीर कीर कार कार कीर कीर कार कीर कीर कार कार क			
संवर्धन किया जाना चाहिए। वर्षा जल संवयन पर स्थानीय उपविधियों के उपबंधों का अनुसरण किया जाना चाहिए। वरिं स्थानीय उपविधियों के उपबंधे उपलब्ध नहीं हों तो श्रद्धरिवास मंदिन अवन उपविधियों के उपबंध उपलब्ध नहीं हों तो श्रद्धरिवास मंदिन अवन उपविधियों के उपबंध उपलब्ध नहीं हों तो श्रद्धरिवास मंदिन अवन उपविधियों के उपबंध उपलब्ध नहीं हों तो श्रद्धरिवास महिना कर सुन्तर किया जाना चिए। वर्षा जल संवयन योजना का बहां विचाहन किए जाने की आवश्यकता है जहां निर्मित क्षेत्र के प्रति पांच हुजार वर्ष मंग्रद्ध तथा ताबा जल की एक दिन की आवश्यकता की संडारण अमता के स्मृतन पर एक रिवार्ज के रहा के स्वार्ण जाएगा। उन क्षेत्रों में, जहां पू-जल की निकासी नहीं की जाएगी। मभी रिचार्ज नक्षी जलभून तक सीमित होंने। सभी रिचार्ज नक्षी जलभून तक सीमित होंने। सभी रिचार्ज नक्षी अवभाग मंग्रित की स्मृत का सामा जाएगा। उर्ध अपित नक्षीय ने अवन अपित्र में स्था अपित्र के साथ पेवर, पेवर व्यार्ग के स्थापित को प्रतास में स्था अपित्र के साथ पेवर, पेवर व्यार्ग के सुन्तर स्थापित को प्रतास माना चाएगा। उर्ध अपित्र मंग्रद्ध स्थापित को प्रतास माना चाएगा। उर्ध अपित्र मंग्रद्ध स्थापित को प्रतास माना चाएगा। साथ स्थापित की जानी चाहिए। सीव – ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनवाइट शोधन प्रणालियों संस्थापित की जानी चाहिए। लैंडस्केन से एकीकृत हो ते बार्ली प्रश्नुतिक शोधन प्रणालियों की बहाना दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित वहिला का हाथ प्रयोग की प्रवास को बार चार पार हो हो कहां से स्थाव हो शोधित जानित्र वहिला का साथ सामी की अप्रापक मोतिक ने साद से शहरी विकास संवर्ध के सीवेज आपता सीविज शोधन प्रणालियों की बहुता की साद से शहरी की का साव सामा वाला चार हो। के सित्र को सित्र का साथ सीविज शोधन प्रणालियों की हा साथ सीविज में साथ के शहरी हो साथ का नाच पार हो। के साथ साय सीविज सी	2.		**
वर्षा जल सचयन पर स्थानीय उपविधियों के उपवंधों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय उपविधियों के उपवंधों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय उपविधियों के उपवंधों का अनुसरण निया जे किया साईचा निया कर उपविधियों के अनुसर्प के अनुसरण हिया जो के लिए समुचित उपवंधों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यार्षा जल संचयन योजना का बहुत तथा जाजा जल की एक दिन की आवश्यकता है जहां तिर्मित क्षेत्र के प्रति पांच हिजार किए जाने की आवश्यकता है जहां तिर्मित क्षेत्र के प्रति पांच हिजार किए जाने की आवश्यकता है जहां तिर्मित के के प्रति पांच की विचा सुन्त की निया साई की जाएगी। 2(क) 2(क) स्थानीय अवत उपनियमों में यथा अमेरित कम से कम 20 प्रतिशत जूना साना जन की निया साई है है सक्षम प्रतिकारी के अनुमीतन के विचा सुन्त कर निया हो हो है। स्थानीय अवत उपनियमों में यथा अमेरित कम से कम 20 प्रतिशत जूना स्तान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत औपनिंग के साथ पेवर, पेवर ज्यांकी, लैंडक्लेग इत्यादि को प्रभावनीय वत्त समझा जाएगा। 3. अपशिष्ट प्रवंधन उोम अपशिष्ट – अपशिष्ट के पृथक्कण को मुचियाजनक बनाने के लिए प्रत्येक एकाई, लैंडक्लेग इत्यादि को प्रभावनीय वत्त समझा जाएगा। सीचित के लेंचे सुन्त पर अन्त अन्यन नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीचेत – ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीचेज नेटक्लं नहीं है, वहां आनायहर शोधन प्रणाविया संख्याति की वेदस्त नहीं है, वहां आनायहर शोधन प्रणावियां संख्याति के अपशावता हिता यार्पा वाल में प्रति है अधित वहिः साल को माणितीयों प्रतिमात के विचा वाल साल हो है हो सहित आनायाट सीचे लोधन दिवा दिवा जाएगा। सीटिक हैंकों सहित आनायाट सीचे लोधन दिवा जाराचा। सीटिक हैंकों सहित आनायाट सीचे लोधन दिवा जाराचा। शेरक अपशिष्ट कर्षाचे से स्था सिक्त योव की आहुरी किया अपशाविय साल साल सीचे के साल सीचे की अपशाव साल सीचे के साल सीचे की अपशाव साल सीचे सीचे की सीचे की सीचे की सीचे के सीचे सीची सीच सीचे का सीचे की सीचे के अपशे इंतीचीनी अध्य स्थान की साल सीचे क			
जाना चाहिए। यदि स्थानीय उपविधियों के उपबंध उपलब्ध नहीं हों तो शहरी विकास मंडिल भवन उपविधियों के उपबंध उपलब्ध नहीं हों तो शहरी विकास मंडिल भवन उपविधि 2016 के अनुसार भंडारण और रिचार्ज के लिए, समिवित उपबंधों के का अनुसरण किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन योजना का बहा किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन योजना का बहा किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन योजना का बहा किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचार्ज को एक दिन की आवश्यकता की भंडारण क्षमता के न्यूनतम एक रिचार्ज वोर को उपलब्ध कराया जाएगा। उन क्षेत्रों में, बहां ए-जल की निकारी नहीं है, सक्षम प्राधिकारों के अनुमोरत के विना पू-जल की निकारी नहीं है, सक्षम प्राधिकारों के अनुमोरत के विना पू-जल की निकारी नहीं है, सक्षम प्राधिकारों के अनुमोरत के विना पू-जल की निकारी नहीं है, सक्षम प्राधिकारों के अनुमोरत के विना पू-जल की निकारी नहीं है, सक्षम प्राधिकारों के अनुमोरत के विना पू-जल की निकारी नहीं है, सक्षम प्राधिकारों के स्थारी का का स्थारी जोएगी। सभी रिचार्ज सामित जोरी का स्थारी के स्थारी की व्यवस्था की जानी चाहिए। विकार संभार हो सी			``
शहरी विकास मंडिल अवन उपविधि 2016 के अनुसार अंडारण और रिचार्ज के लिए समुचित उपवंधों का अनुस्तण किया जाना चाहिए। वर्षा जब संवचन योजना का बढ़ा डिजाइन लिए जाने की आवश्यकता है जहां निर्भित क्षेत्र के प्रति पांच हजार वर्ष मीटर तथा नाजा जल की एक दिन की आवश्यकता की संजारण क्षमता के न्यूनतम एक रिचार्ज योर को उपलब्ध कराया जाएगा। उन के बीना भू-जन किया निर्भाश की उपलब्ध कराया जाएगा। उन के की में मुंदा कुन्य निर्भा में हों की आपाएगी। सभी रिचार में वया अपेक्षित कम से कम 20 प्रतिशत खुला स्वान प्रभावनीय होंगा। कम से कम 50 प्रतिशत खुला स्वान प्रभावनीय होंगा। कम से कम 50 प्रतिशत खुला स्वान प्रभावनीय होंगा। कम से कम 50 प्रतिशत खुला स्वान प्रभावनीय होंगा। कम से कम 50 प्रतिशत खुला स्वान प्रभावनीय होंगा। कम से कम 50 प्रतिशत खुला स्वान प्रभावनीय होंगा। कम से कम 50 प्रतिशत खुला स्वान प्रभावनीय होंगा। कम से कम 50 प्रतिशत खेंपित के लाग पेवर, पैवर ज्वाकों, लैंडन्वेष स्वयादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा। 3. अपिष्ट प्रवधन उंस अपाष्टि – अपाशिट के पृथ्वक्षण को पृत्विकाल कराने के लिए प्रयेक इन्ताई से तथा भूतल पर अलगा-अलग नम और शुष्क विनों के लिए प्रयेक इन्ताई से तथा भूति की जानी चाहिए। सीवेज – ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय तीवेज नेटक कहीं है, वहां आनताइट शोधक प्रणावियां संस्थापित की जानी चाहिए। अदिरक लोशित विकास प्रमावियों की जहां नि स्वार्य हिया जाएगा। सीपित वैहें आवा को भीगितीयी प्रतिभानों के अनुसाल में निक्तारित किया जाएगा। सीपित वैहें आवा के भीगितीयी प्रतिभानों के अनुसाल में निक्तारित किया जाएगा। सीपित वैहें आवा के मीवेद लोशित कथा प्रीवेज भोशित प्रणावियों संस्वत्र (सीपीएनईईईजी) के मीवेद तथा नीवेज शोधन प्रणावि मैनुअल, 2013 वे अनुसार एक्वित, सेवना और किया और प्राप्त के मान से प्रविक्त किया अत्रित्त किया जाएगा। सोम अपित अपित प्रवेक्ष के मिए प्राधिकृत पून चक्रों के साथ अनिवार्य कम से एक्तिवित प्रवेक्ष किया काएगा। श्रीतिक किया जाएगा। अत्रदेश को की स्वार्य भावन कोड (देसीवीसी) का अनुपालन स्वित्ति कीया जाएगा।। राज्यों में ऐसे प्रवत्त किया जान के देहीवीसी अध्यात क्लीक को प्राप्त कर की प्रवार लिया है के साथ का प्रवार को हुंग कर कर के हीवीसी अधियुलत हैं, उनमें राज्यों की प्रवार कर की मां की प्रवत्त के अपने हैंदीवीसी अधियुलत हैं, उनमें राज्यों की क			9
के लिए समुचित उपकंशों का अनुसरण किया ज्ञाना चाहिए। वर्षा जल संचयन योजना का वहां डिजाइत किए जात की आवश्यकता है जहां तिर्मित केब के फिर्म पांच हुआर वर्ष मीटर तथा ताजा जल की एक दिन की आवश्यकता की भंडारण क्षमता के न्यूनतम एक रिचार्ज दीर को उपलब्ध कराया जाएगा। उन क्षेत्रों में, जहां मू-जल रिचार्ज मोडर है, सक्षम प्राधिकारों के अनुमोदन के विना भू-जल की विकासी नहीं की जाएगी। 2(क) 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. 3. 3. अपशिष्ट प्रयंधन 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
वर्षा जल संस्यत योजना का बहां डिजाइन किए जाने की आवश्यकता है जहां निर्मित के के प्रदि पांच हजार वर्ष मीपट तथा ताजा जल की एक दित की आवश्यकता की संदारण असना के स्पृतनम एक दिवाजों बोर को उपालच्छ कराया जाएगा। उन क्षेत्रों में, जहां भू-जल की निकासी नहीं की जाएगी। सभी दिचार्ज मता की जना की का स्थाप नहीं है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना भू-जल की निकासी नहीं की जाएगी। सभी दिचार्ज मता की जाएगी। सभी दिचार्ज मता की जाएगी। अस से किए प्रतिशत के सा से कम 20 प्रतिशत हुता स्वाप्त प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत कोपिंग के साथ पेवर, पेवर व्याप्त हुता पा अपावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत कोपिंग के साथ पेवर, पेवर व्याप्त हुता पा अपावनीय कल समक्षा जाएगा। उत्त कर संभव जानी चाहिए। सीवज – ऐसे क्षेत्रों में जहां नमरीय सीवज ने दवकं नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियों से के बाति पाहिए। विदेश के सही है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियों से के बहात दिया जाएगा। उत्तर संभव हों शोधन बहित्याव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधन बहित्याव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधन बहित्याव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधन बहित्याव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधन बहित्याव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधन बहित्याव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधन बहित्याव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधन बहित्याव को सीपीपीडी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया चाएगा। तैपटक डैको सहित कामाचाह में अनुपालन किया जाएगा। विद्यक्त के तेप क्षा कामाचाह की साम को अनुपालन किया जाएगा। उत्तम अपनि हित्य कामाचाह की स्वत्य का पुना। उत्तम कामाचाह की अनुपालन किया जाएगा। अतिरक्त प्रतापत किया जाएगा। प्रतिवित प्रति का जाएगा। वित्यक त्राच स्वत्य के अनुपालन किया जाएगा। वित्यक की कामाचाह की कामाचाह की वित्य कामाचाह की कामाचाह की स्वत्य कामाचाह कामाचाह की स्वत्य कामाचाह की स्वत्य कामाचाह की स्वत्य कामाचाह कामाचाह की स्वत्य कामाचाह कामाचाह कामाचाह कामाचाह कामाचाह क			
आवश्यकता की भंडारण क्षमता के न्यूनतम एक रिचार्ज बोर को उपलब्ध कराया जाएगा। उन क्षेत्रों में, जहां भू-जल रिचार्ज नाध्य नहीं है, सक्षम प्राक्षिकारी के अनुमोदन के बिना मू.जल की निकासी नहीं की जाएगी। स्थानीय भवन नहीं जलभून तक नीमित होंगे। 2(क) स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20 प्रतिशत खुला स्तान प्रभावतीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत खोपनिंग के साथ पेवर, पेवर ज्लाकों, लैंडस्केण इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा। 3. अपिशृष्ट प्रबंधन डेमें अपिशृष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा भूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जाती चाहिए। सीजन - ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटबर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित बहिःसाब को पुरा- प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधन हो शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधन बहिःसाब को पुन: प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधन बहिःसाब को पुन: प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधन बहिःसाब को पुन: प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधन समावत्व के कहाना के लहरी विकास मंत्रालय, के नहीं हो लोक का नाम के निकले गाव को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक क्यान्य को प्रयोग अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुकल, 2013 के अनुसार एकचित, मेजना और निक्तिय किया जाएगा। टोस अपिशृष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपिशृष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। टोस अपिशृष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपिशृष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। उत्त अपिशृष्ट (प्रवंधन) किया जाएगा। अतिक नियम प्रतियत का नियम का चाहिए। कर्जा दक्षता च्यूरो के को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपिशृष्ट केन के अपिशृष्ट को किया चाहिए। कर्जा दक्षता च्यूरो के का मिलन किया चाहिए। कर्जा दक्षता च्यूरो के का मिलन किया चाहिए। कर्जा दक्षता च्यूरो के का स्थापत कर विने में उनके अपने ईसीबीसी अधिसुचित हैं, उनमें पान्य हैंगी होता से अपिश के में महिन किया चाएगा। आउटबो तथा साझा क्षेत्र मिलन किया चाएगा। आउटबो तथा साझा केत्र प्रतिक केत्र में वरके प्रतिह होनी होता साझा केत्र प्रतिक केत्र से सीवित केत्र से सीवित केत्र में प्रतिक केत्र में प्रतिक केत्र से सीवित केत्र से सीव			
कराया जाएगा। उन क्षेत्रों में, जहां पू-जल रिचार्ज माध्य नहीं है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना मू-जल की निकासी नहीं की जाएगी। सभी रिचार्ज मनहीं जलभूत तक सीमिन होंगे। सभी रिचार्ज मनहीं जलभूत तक सीमिन होंगे। स्थानिय भवन उपनिवर्मों में यथा अपेक्षित कम मे कम 20 प्रतिशत खुला स्तान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत औपनिंग के साथ पेवर, पेवर जलकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा। 3. अपश्रिष्ट प्रबंधन 3. अपश्रिष्ट प्रवंधन 3. अपश्रिप्ट के प्रवंधन 3. अपश्रिप्ट माध्येप 3. अपश्रिप्ट के प्रवंधन 3. अपश्रिप्ट क			
प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना भू.जल की निकासी नहीं की जाएगी। सभी रिवार्ज सबही जलकृत तक सीमित होंग। स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20 प्रतिशत खूल स्तान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत औपित के साथ पेवर, पेवर ज्लाकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा। 3. अपशिष्ट प्रबंधन डोस अपशिष्ट - अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई से तथा भूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीवेज - ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियों नो बहावा दिया जाएगा। को प्राचित को श्रीय निक्त साथ किया नार्या हो शोधित वहिःसाव को सीपीसीबी प्रतिसानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सैटिटक हैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन पर्यावदारण अभियांविकों संगठल (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्यावदारण अभियांविकों संगठल (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्यावदारण अभियांविकों संगठल (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्यावदारण अभियांविकों संगठल (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्यावदारण अभियांविकों संगठल (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्याव्य अभियांविकों संगठल (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्याव्य अभियांविकों संगठन (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्याव्य अभियांविकों संगठन (सीपीएचईईबो) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन पर्याव्य अस्ता तथा तथा तथा है। अपशिष्ट श्रिवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किय जाएगा। डोस अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट के प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौप दिया जाएगा। प्रतिदेत प्रति व्यक्ति के गणका काएगा। प्रतिदेत प्रति व्यक्ति के गणका काएगा। अर्ड के स्थात स्थात करना चाहिए। उर्जा दक्षता स्थार के उर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन पुनिवित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसुतित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आर्ड कोर स्था स्थाग होगा। हिमांव के प्रति सन्त विक्ती उत्पादन की पूर्ति करते हेतु सौर, पवन अथवा निवासों करनी, जो सीविक हो, हो सीव्य साम की गूरो रहन कथा तथा राज्य स्तरित होते होता साम अनुपाल का अपवार की कराधी करना, विक्ती करना विक्ती की माम को पूरा करने हेतु सौर, पव अथवा निवास की साम विक्ती उत्			· · ·
(क) सभी रिचार्ज सन्तर्ही जलभृत तक सीमित होंगे। स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20 प्रतिशत खुला स्तान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत लेला से त्या होगा। कम से कम 50 प्रतिशत औपनिंग के साथ पेवर, पेवर ज्लाकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा। 3. अपशिष्ट प्रवंधन ठोत अपशिष्ट जलभा के प्रतिश्वाजनक बनाने के लिए प्रत्येक हकाई में तथा भूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीबेज — ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीबेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियों संस्थापित की जानी चाहिए। लेंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित बहिः आव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सीटिक देंकों सहित आनसाइट सीबेज शोधन में निकले गाव को शहरी जिकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन में निकले गाव को अहरी जिकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुपाल एकिया, प्रजाल की सीविक अपिश्य प्रवासण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुपाल किया जाएगा। ठोत अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। उत्तर अपशिष्ट प्रवंधन किया जाएगा। उत्तर व्यवस्था का साथ किया जाएगा। उत्तर विवास के साथ अनिवास करण से एकिक करना चाहिए। 4. उर्जा प्रतिक्षित प्रवंधन किया जाएगा। अाउटडोर तथा साआ क्षेत्र की प्रवंधन किया जाएगा। आउटडोर तथा साआ क्षेत्र की प्रवंधन किया जाएगा। आउटडोर तथा साआ क्षेत्र की प्रवंधन किया जाएगा। अाउटडोर नथा साआ क्षेत्र की प्रवंधन किया जाएगा। अाउटडोर नथा साआ क्षेत्र की प्रवंधन किया जाएगा। अाउटडोर नथा साआ क्षेत्र की प्रवंधन की मृतिकरी कराने की मृतिकर करने हिसीबीसी अधिसूत्वत हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपाल किया जाएगा। अाउटडोर नथा साआ क्षेत्र की प्रवंधन किया जाएगा। अववान नीकरणीय उज्जी, जो भी अधिक हो, की मृत्यानम की जाएगी। वाणिज्यक तथा संस्थानत भवनों की गर्म जल की मांग की पूरार, प्रवर के लिए			
(क) स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20 प्रतिशत खूला स्तान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत औपनिंग के साथ पेवर, पेवर ब्लाकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा। 3. अपशिष्ट प्रबंधन इते अपशिष्ट न अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक हकाई में तथा भूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीज			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
स्तान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत औपनिंग के साथ पेवर, पेवर ब्लाकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा। 3. अपशिष्ट प्रबंधन टोस अपशिष्ट न अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा सूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीवेज – ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए। लैंडस्केप से एकीवृत्त होने वाली प्रकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित वहिःश्राव का पूपः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधित बहिःश्राव को सुपः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधित बहिःश्राव को सुपः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरक्त शोधित बहिःश्राव को स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएवईईश्री) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुमार एकवित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा। टोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। उ(क) सभी पैर जीविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनःचक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठचंधन किया जाएगा। उ(क) प्रतिदित प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूगतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट कृति खेती खड़ा संस्थित करना चाहिए। ऊर्जा इक्षता ब्यूरों के ऊर्जा संस्था भवन कोड (ईसीवीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन कोचें उनके अपने ईसीबीसी अधिसृत्वत हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाथ व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिसांड लोड के 1 प्रतिशत समनुत्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियां को को प्रधात करनी की जारात्ती या ज्याता वी जाएगी। वाणिज्यक तथा संस्थानत अवनों की मर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए	2(=)		` ` ` `
अपशिष्ट प्रबंधन ठोस अपशिष्ट – अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा भूरल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए । सीवेज – ऐसे क्षेत्रों में जहां नमरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियों संस्थापित की जानी चाहिए । लेंडस्केप से एसीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बहावा दिया जाएगा । जहां तक संभव हों शोधित बहिःस्थाव को पुरा: प्रयोग किया जागा चाहिए । अतिरिक्त शोधित बहिःस्थाव को पुरा: प्रयोग किया जागा चाहिए । अतिरिक्त शोधित बहिःस्थाव को पुरा: प्रयोग किया जागा चाहिए । अतिरिक्त शोधित बहिःस्था को प्रतासाइट सीवेज शोधन माने को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियाविकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकवित, भेवना और निस्तारित किया जाएगा । टोल अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । अति कैर प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । अति गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा । अति किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीवीसी अधिसृचित हैं, उनमें राज्य ईसीवीसी का अनुपाल किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एवईडी) का प्रयोग होगा । अत्र उत्तर अत्र साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एवईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समनुत्य अथवा राज्य स्तरिय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विज्ञी उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पबन अथवा निकरणीय उज्जों, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यक तथा संस्थापन अवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए	∠(क)		
 ठोस अपशिष्ट - अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा भूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए । सीवज - ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए । लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बद्धावा दिया जाएगा । जहां तक संभव हो शोधित बहिःसाब का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए । अतिरक्त शोधित बहिःसाब का सुनः प्रयोग किया जाना चाहिए । अतिरक्त शोधित बहिःसाब को सीपीसीधी प्रतिमानों के अनुपालन में सिन्दारित किया जाएगा । सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन प्रणाली मैन्जित संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैन्जिल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा । टीस अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । उत्तक) सभी सैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनःचक्रक को साँप दिया जाएगा । जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठवंधन किया जाएगा । उर्जा प्रतिक क्ष्म के तथा जाएगा । उर्जा वक्षता व्यूरों के ऊर्जा संरक्षण भवन को हिए । उर्जा वक्षता व्यूरों के ऊर्जा संरक्षण भवन को हिए । उर्जा वक्षता व्यूरों के उर्जा संरक्षण भवन को हिए । उर्जा वक्षता व्यूरों के उर्जा संरक्षण भवन को हिए । उर्जा वक्षता व्यूरों के उर्जा संरक्षण भवन को हिए । अर्जा उद्योग किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसुचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्त करने हेतु सौर, पबन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापन की जाएगी । वाणिज्यक तथा संस्थापत अवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए 			``
हकाई में तथा भूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क विनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीवेज – ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए। लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित विहःसाव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियाविकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा। टोस अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। उत्ति और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। उत्ति अति प्रवंधन नियम, विश्व को प्राधिकृत पुनःचक्रक को साँप दिया जाएगा। जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रक को साँप दिया जाएगा। जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रक को साँप दिया जाएगा। जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड़ा संस्थित करना चाहिए। 4. ऊर्जा अर्विटन प्रति व्यक्ति को उत्ति स्वत्ती आपशिष्ट को प्राचिक अपने ईसीवीसी अधिस्चित किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्त करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए	3.	अपशिष्ट प्रबंधन	
सीवेज - ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए । लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित वहिःस्थाव का पुनः प्रयोग किया जागा चाहिए । अतिरिक्त शोधित वहिःस्थाव को शुक्त से निक्त गांचिए । अतिरिक्त शोधित वहिःस्थाव को शुक्त से निक्त गांचिए । अतिरिक्त शोधित वहिःस्थाव को शुक्त से निक्त गांचिए । अतिरिक्त शोधित वहिःस्थाव को शुक्त से निक्त गांचि या जाएगा। सैंप्तिक दें से सिहत आनसाइट सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निक्तारित किया जाएगा। ठोस अपिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपिष्ट को प्राधिकृत पुनःचक्रक को सौंप दिया जाएगा। जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रक को सौंप दिया जाएगा। 3(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड़ा संस्थित करना चाहिए। 4. ऊर्जा उर्जा दक्षता व्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीवीसी) का अनुपालन सृनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीवीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीवीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रताश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समनुत्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			, ,
शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए । लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा । जहां तक संभव हो शोधित बहिःस्राब का पुनः प्रयोग किया जागा चाहिए । अतिरिक्त शोधित बहिःस्राब को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीबेज शोधन से निकले गाद को शहरी बिकार मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीबरेज तथा सीबेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा । ठोस अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनःचक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रक को सौंप दिया जाएगा। उनके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रक को सौंप दिया जाएगा। उनके क्या जाएगा। प्रजिक्त करना चाहिए। 4. ऊर्जा प्रतिदेन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए। 5. उर्जा वक्षता ब्लूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। 8. अंदा को प्रति समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			जानी चाहिए ।
वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा । जहां तक संभव हो शोधित बहिःस्राव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए । अतिरिक्त शोधित बहिःस्राव को सीपीसीवी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण असियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा । ठोस अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा । (क्षा) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड़ा संस्थित करना चाहिए । 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरों के ऊर्जा संरक्षण भवन जिनमें उनके अपने ईसीवीसी अधिसृचित हैं, उनमें राज्य ईसीवीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
हो शोधित बहिःस्राव को सुनः प्रयोग किया जाना चाहिए । अतिरिक्त शोधित बहिःस्राव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और ज्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। उत्ति और जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनःचक्रक को सौंप दिया जाएगा। अतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए। ऊर्जा अर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। बाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
बहिःस्राव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा। 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा।, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठवंधन किया जाएगा। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीवीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीवीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीवीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समनुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा । टोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा । 3(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सृनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिस्चित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा । ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । (क्रांक) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा । जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठवंधन किया जाएगा । (क्रांक) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । (क्रांक) उर्जा दक्षता व्यूरों के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । (हमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा । टोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रके को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रके को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रके साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए। 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संस्थाण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एिमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार विजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा । 3(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा । 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा । 3(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
जाएगा । 3(क) सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा । 3(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
 सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपिशष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा । अ(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपिशष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । ऊर्जा ऊर्जा वक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए 			
सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा । 3(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए	3(a)		
एक लिखित गठबंधन किया जाएगा । 3(ख) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए । 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा । आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा । डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी । वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए) (1/)		,
अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए। 4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
4. ऊर्जा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए	3(ख)		प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक
सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एिमटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपिनयमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए ।
अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एिमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपिनयमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए	4.	ऊर्जा	,,,
आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एिमटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
(एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			
डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			-
उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			` ' ' '
अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			<u> </u>
वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए			=
अथवा स्थानीय भवन उपनियमों की आवश्यकतानुसार, जो भी अधिक हो,			वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए
			अथवा स्थानीय भवन उपनियमों की आवश्यकतानुसार, जो भी अधिक हो,

	1 0 3(II)]	
		सोलर वाटर हीटिंग की व्यवस्था की जाएगी । आवासीय भवनों के लिए भी
		यथासंभव अपनी गर्म जल मांग की पूर्ति हेतु सोलर वाटर हीटरों की सिफारिश की जाती है।
		भवन डिजाइनों में पैसिव सोलर डिजाइन की संकल्पना शामिल की जाएगी
		जिसमें डिजाइन के तत्वों जैसे भवन अभिमुखीकरण, लैंडस्केपिंग, दक्ष भवन
		एनवेलप, समुचित खिड़िकयों की व्यवस्था, दिन में अधिक प्रकाश करने की
		व्यवस्था में सुधार और थर्मल माल इत्यादि का प्रयोग करके भवनों में ऊर्जा खपत को न्यूनतम किया जाता है। दीवारों, खिड़कियां और छत के यू-वाल्व
		्रिया का न्यूनतम किया जाता ह । दावारा, ।खड़ाकया आर छत क यू-वाल्व इंसीबीसी विशिष्टियों के अनुसार होंगे ।
4 (क)		मांग भार या राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपविधियों की अपेक्षाओं, इनमें से
		जो भी उच्चतर हों, के एक प्रतिशत के समतुल्य विद्युत सृजन को पूरा करने के
		लिए सौर/पवन या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिष्ठापन किया जाएगा।
4(ख)		व्यवसायिक और संस्थागत भवन की गर्म जल की मांग का 20 प्रतिशत सौर
		ऊर्जा जलीय ताप से व्यस्थित होगा या स्थानीय भवन उपविधि की अपेक्षानुसार, जहां कहीं उच्चतम आवासीय भवन हैं जहां तक संभव हो उनकी
		गर्म जल की मांग सौर ऊर्जा जलीय ताप से देने की व्यवस्था की जाएगी।
4(ग)		ईंटों, ब्लॉकों, अन्य संनिर्माण सामग्रियों में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का
		उपयोग संनिर्माण सामग्री मात्रा का कम से कम 20 प्रतिशत के लिए अपेक्षित
		होगा, इनके अंतर्गत फ्लाईऐश, खोखली ईंटें, भाप-सह-पात्र वातित कंक्रीट (एएसी) फ्लाईऐश, चूना जिम्सम के ब्लॉक, संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक और
		अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री भी है।
		फ्लाईऐश का उपयोग समय-समय पर यथा संशोधित फ्लाईऐश अधिसूचना
		का.आ. 763(अ) तारीख 14 सितंबर, 1999 के उपबंधों के अनुसार संनिर्माण
		में निर्माण सामग्री के रूप में किया जाना चाहिए।
5.	वायु गुणवत्ता और ध्वनि	संनिर्माण स्थलों की ओर जाने वाली या उस पर सड़के तैयार की जानी चाहिए और उन्हें ब्लैक टॉप (अर्थात् पक्की सड़कें) किया जाना चाहिए ।
		किसी मृदा उत्खनन कार्यरत पर्याप्त धूल शमन उपायों के बिना नहीं किया
		जाएगा ।
		खुली मृदा या रेत या संनिर्माण या ध्वस्त अवशिष्ट या कोई अन्य संनिर्माण
		सामग्री, जिसके कारण धूल होती हो, खुला नहीं जोड़ा जाएगा।
		हवा रोधक की पर्याप्त ऊंचाई भवन की ऊंचाई का 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक उपबंधित होगा।
		जल छिड़काव प्रणाली उपयोग में लाई जाएगी ।
		धूल शमन उपयोग संनिर्माण स्थल पर सहज लोक दर्शन के लिए प्रमुखतया से
		प्रदर्शित किया जाएगा ।
		भवन सामग्री की पिसाई और कटाई खुले क्षेत्र में प्रतिषिद्ध होगी।
		संनिर्माण सामग्री और अवशिष्ट केवल चिन्हित क्षेत्र के भीतर भंडारित किया
		जाएगा और सड़क किनारे संनिर्माण सामग्री और अवशिष्ट का भंडारण प्रतिषिद्ध होगा ।
		किसी वाहन को संनिर्माण सामग्री और अवशिष्ट आच्छादित के बिना ले जाने
		के लिए स्वीकृत नहीं दी जाएगी।
		संनिर्माण और ध्वस्त अवशिष्ट प्रक्रिया और निपटान स्थल चिन्हित तथा अपेक्षित धूल शमन उपयोग स्थल पर अधिसूचित किए जाएंगे ।
		धूल, धुंआ और अन्य वायु प्रदूषण प्रतिषिद्ध उपाय भवन और साथ ही साथ स्थल के लिए व्यवस्थित किए जाएंगे ।
		वेटजेट की पिसाई और पत्थरों कटाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।
		उबड़-खाबड़ सतह और खुली मृदा की धूल कों दबाने के लिए पर्याप्त जल का
		छिड़काव किया जाएगा।
		सभी ध्वस्त और संनिर्माण अपशिष्ट, ध्वस्त और संनिर्माण अपशिष्ट नियम,

		2016 के उपबंधों के अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे ।
		निर्माण स्थलों पर कार्यरत तथा निर्माण सामग्री और निर्माण कचरे को लादने,
		उतारने और ढुलाई या धूल प्रदूषण करने वाले किसी क्षेत्र में कार्यरत सभी
		मजदूरों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएं।
		भीतर वायु गुणवत्ता के संबंध में भारत के राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार वायु
		संचार प्रावधान किए जाएं ।
5(क)		जेनसेट की अवस्थिति और सम्वातन पाइप की ऊंचाई पर्यावरण, वन और
		जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कानूनी मानकों के उपबंधों के
		अनुसार होगी।
6.	हरित क्षेत्र	प्रति 80 वर्ग मीटर की भूमि के लिए कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी
		देखभाल की जानी चाहिआँए । इस उद्देश्य के लिए विद्यमान पेड़ों की गिनती
		की जाएगी । देशीय जाति के पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
6(क)		जहां पेड़ों की कटाई आवश्यक हों,1:3 के अनुपात में प्रतिपूरक वृक्षारोपण
		अर्थात् प्रत्येक एक पेड़ की कटाई के लिए 3 पौधों को लगाना तथा उनका रख-
		रखाव करना होगा ।
7.	ऊपरी मृदा परिरक्षण और पुनरुपयोग	भवनों, सड़कों, पक्के क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों से 20
		सेंटीमीटर की गहराई तक ऊपरी मृदा को खोदा जाना चाहिए । इसका
		निर्धारित क्षेत्र में समुचित ढंग से भंडारण किया जाना चाहिए और स्थल पर
		प्रस्तावित वनस्पति के रोपण के दौरान इसका पुनरुपयोग किया जाना
		चाहिए।
8.	परिवहन	भवन निर्माण योजना व्यापक गतिशीलता योजना अनुमोदन के साथ संरेखित
		की जाएगी (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के उत्तम, पद्धित मार्गदर्शी
		सिद्धांत के अनुसार (यूआरडीपीएफआई) ।

[फा. सं. 3-49/2017-आईए.III-भाग]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ.1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं द्वारा किया गया :-

```
    का.आ. 1949 (अ) तारीख 13 नवंबर, 2006 ;
```

- का.आ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 ;
- 3. का.आ. 3067.(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
- 4. का.आ. 695 (अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
- का.आ. 156 (अ) तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
- का.आ. 2896 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
- का.आ. 674(अ) तारीख 13 मार्च, 2013 ;
- 8. का.आ. 2204(अ) तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
- 9. का.आ. 2555(अ) तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
- 10. का.आ. 2559(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013;
- 11. का.आ. 2731 (अ) तारीख 9 सिंतबर, 2013 ;
- 12. का.आ. 562(अ) तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
- 13. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
- 14. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून, 2014 ;
- का.आ. 2601(अ) तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;

```
का.आ. 2600(अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2014 ;
16.
17.
      का.आ. 3252(अ) तारीख 22 दिसंबर. 2014 :
      का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
18.
      का.आ. 811(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 ;
19.
      का.आ. 996(अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
20.
      का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 :
21.
      का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
22.
      का.आ. 1834(अ) तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
23.
24.
      का.आ. 2571(अ) तारीख 31 अगस्त, 2015 ;
      का.आ. 2572(अ) तारीख 14 सितंबर, 2015 ;
25.
      का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2015 ;
26.
      का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;
27.
      का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;
28.
      का.आ. 2944(अ) तारीख 14 सितंबर, 2016 ;
29.
      का.आ. 3518(अ) तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
30.
      का.आ. 3999(अ) तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31.
32.
      का.आ. 4241 (अ) तारीख 30 दिसंबर, 2016 ;
      का.आ. 3611(अ) तारीख 25 जुलाई, 2018।
33.
```

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2018

S.O. 5733(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the power to local bodies such as Municipalities, Development Authorities, District Panchayatsas the case may be,to ensure the compliance of the environmental conditions as specified in the Appendix in respect of building or construction projects with built-up area \geq 20,000 sq. mtrs. To 50,000 sq. mtrs. and industrial sheds, educational institutions, hospitalsand hostels for educational institutions \geq 20,000 sqmupto 1,50,000 sqm along with building permissionand to ensure that the conditions specified in Appendix are complied with, before granting the occupation certificate/completion certificate.

APPENDIX

Environmental Conditions for Buildings and Constructions

(Category: Building or Construction projects or Area Development projects and Townships≥ 20,000 to <50,000 Square meters as well as for industrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutionsfrom 20,000 sq.mto<1,50,000 sq.m)

S.N.	MEDIUM	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
(1)	(2)	(3)
1	Topography and Natural Drainage	The natural drain system shall be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
2	Water Conservation,	A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared and implemented.

	D. '. W.	II C
	Rain Water	Use of water efficient appliances should be promoted with low flow fixtures or sensors.
	Harvesting and Ground Water Recharge	The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016.
		A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer.
2(a)		At least 20 per cent of the open spaces as required by the local building byelaws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks, landscape etc. with at least 50 per cent opening in pavingwhich would be considered as pervious surface.
3	Waste Management	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Sewage: Onsite sewage treatment of capacity of treating 100 per cent waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation(CPHEEO)Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
3 (a)		All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
3(b)		Organic waste compost/ Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg per person per day must be installed.
4	Energy	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be Light Emitting Diode (LED). Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
4 (a)		Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1 per cent of the demand load or as per the state level/local building bye-laws requirement, whichever is higher.
4 (b)		Solar water heating shall be provided to meet 20 per cent of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
4 (c)		Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20 per cent of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and

[भाग II—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	7
---------------------	---------------------------	---

	(11) 1	नारा का राज्यत्र : असावारण
		other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification, S.O. 763(E) dated 14 th September, 1999 as amended from time to time.
5	Air Quality and Noise	Roads leading to or at construction sites must be paved and blacktopped (i.e. metallic roads). No excavation of soil shall be carried out without adequate dust mitigation measures in place. No loose soil or sand or Construction & Demolition Waste or any other construction material that causes dust shall be left uncovered. Wind-breaker of appropriate height i.e. 1/3rd of the building height and maximum up to 10 meters shall be provided.
		Water sprinkling system shall be put in place. Dust mitigation measures shall be displayed prominently at the construction site for easy public viewing. Grinding and cutting of building materials in open area shall be prohibited. Construction material and waste should be stored only within earmarked area and road side storage of construction material and waste shall be prohibited. No uncovered vehicles carrying construction material and waste shall be
		permitted. Construction and Demolition Waste processing and disposal site shall be identified and required dust mitigation measures be notified at the site. Dust, smoke and other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site.
		Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016.
		All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code
5 (a)		The location of the Genset and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change The Genset installed for the project shall follow the emission limits, noise limits and general conditions notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide GSR 281(E) dated 7th March 2016 as amended from time to time.
6	Green Cover	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6 (a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
7	Top Soil preservation and reuse	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
8	Transport	The building plan shall be aligned with the approved comprehensive mobility plan (as per Ministry of Housing and Urban Affairs best practices guidelines (URDPFI)).

- **Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -
 - 1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
 - 2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
 - 3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
 - 4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
 - 5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
 - 6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
 - 7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
 - 8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
 - 9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
 - 10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
 - 11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
 - 12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
 - 13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
 - 14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
 - 15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
 - 16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
 - 17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
 - 18. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
 - 19. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
 - 20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
 - 21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
 - 22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
 - 23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
 - 24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
 - 25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
 - 26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
 - 27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
 - $28. \quad S.O.\ 2269(E)\ dated\ the\ 1st\ July,\ 2016;$
 - 29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
 - 30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
 - 31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
 - 32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
 - 33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.